


| तारीख | <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुझुनु क्रिम्य कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत काशिमपुरा प्रकरण सं. 18/2015 उनवान ओम प्रकाश बनाम घडरीराम घरीरह प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</p> | <p>राजस्थान लोक अदालत ग्राम काशिमपुरा अस्थायी-2016</p> |
|------------|--|--|
| 26.06.2018 | <p>यह पत्रावली राजस्थान लोक अदालत ग्राम पंचायत काशिमपुरा में पेश हुई। पक्षकारानों में से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 26.02.2015 को ता. फैसला तक बढ़ाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से ता. फैसला दावा प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, झुझुनु (राजस्थान) </p> | |